2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Sikkim.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2161(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए IV अतिरिक्त मेट्रोपोलिटिन सत्र न्यायाधीश-सह-XVIII अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, शहर सिविल न्यायालय, हैदराबाद के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है ।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य होगा ।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2161(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of IV Additional Metropolitan Sessions Judge-cum-XVIII Additional Chief Judge, City Civil Court, Hyderabad as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Andhra Pradesh.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2162(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, पुडुचेरी को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है ।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होगा ।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2162(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Principal District and Sessions Court, Puducherry as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Union Territory of Puducherry.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2163(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए बम-विस्फोट न्यायालय, चेन्नै को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है ।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य होगा ।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2163(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Bomb Blast Court, Chennai as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2164(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए माननीय श्री यू. सी. ध्यानी, जिला

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

S.O. 1549(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Rakesh Pandey, Advocate, Shri Arun Kumar, Advocate, Shri Indra Bhushan Singh, Advocate, Shri Anurag Khanna, Advocate and Shri Lalit Kumar Singh, Advocate as Special Public Prosecutor(s) for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Uttar Pradesh.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

का.आ. 1550(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, उत्तराखंड राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री बलजीत सिंह, अधिवक्ता तथा श्री अरविन्द वशिष्ठ, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

S.O. 1550(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Baljeet Singh, Advocate and Shri Arvind Vashishth as Special Public Prosecutor(s) for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Uttarakhand.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

का.आ. 1551(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, पुडुचेरी राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री टी. तिरूनावोकरासो, अधिवक्ता तथा श्री जी मोहन कीर्ति कुमार, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

S.O. 1551(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri T. Tirounavocarassou, Advocate and Shri G. Mohan Keerthi Kumar, Advocate as Special Public Prosecutor(s) for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Puducherry.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

का.आ. 1552(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, हिमाचल प्रदेश राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री धर्मपाल चौहान, अधिवक्ता तथा श्री कश्मीर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

S.O. 1552(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Dharampal Chauhan, Advocate and Shri Kashmir Singh Thakur, Advocate as Special Public Prosecutor(s) for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions

पुदुचेरी को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2162 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री थिरू सी. एस. मुरूगन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुदुचेरी के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री थिरू सी. एस. मुरूगन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश, पुदुचेरी को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "**न्यायाधीश**" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस.VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1941(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Principal District and Sessions Court, Puducherry as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the Union territory of Puducherry vide notification number S. O. 2162 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madras has recommended the name of Thiru C. S. Murugan, Principal District and Sessions Judge, Puducherry, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Thiru C. S. Murugan, Principal District and Sessions Judge, Puducherry as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री थिरू के. दक्षिणमूर्ति, प्रथम अपर न्यायाधीश (टाडा) सिटी सिविल न्यायालय, चेन्नई को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस.VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1940(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Bomb Blast Court, Chennai as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Tamil Nadu, vide its notification number S. O. 2163 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madras has recommended the name of Thiru K. Dakshinamoorthy, 1st Additional Judge (TADA), City Civil Court, Chennai, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Thiru K. Dakshinamoorthy, 1st Additional Judge (TADA), City Civil Court, Chennai as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1941(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय,